अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०–प्र०–7 / विविध –155 / 2016– 37 /पटना, दिनांक 23/2/17

कार्यालय आदेश

पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद अन्तर्गत फेसर–पचरूखिया पथ कार्य वर्ष 2008–09 कार्य का एकरारनामा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01 औरंगाबाद द्वारा संवेदक मेसर्स शालीग्राम सिंह, H.O-महावीर भवन, सुरेश कॉलोनी, हजारीबाग (झारखंड), R.O- पवनसूत भवन, न्यू एरिया, औरंगाबाद (बिहार) के साथ एकरारनामा सं0–02SBD/ 2008-09 द्वारा किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य की राशि 15,78,02,102/– रूपये थी। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 15.07.2008 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.07.2009 थी।

2. कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं0–01, पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद अन्तर्गत फेसर–पचरूखिया पथ की जाँच 17.06.2010 से 19.06.2010 तक की गई। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं0–1 द्वारा समर्पित प्रारंम्भिक जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–174 (अनु०) गो० दिनांक 25.06.2010 एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–281 (अनु०) गो० दिनांक 25.11.2010 के आधार पर समीक्षोपरान्त संवेदक मेसर्स मेसर्स शालीग्राम सिंह के विरूद्ध निम्न बिन्दुओं पर आरोप गठित किया गया :–

2.1 पथ के कि०मी० 3 में कराये गये WMM (चौड़ीकरण), WMM एवं GSB कार्य की औसत मोटाई क्रमशः 162mm, 115mm एवं 225mm पायी गयी है, जबकि प्रावधान क्रमशः 225mm, 150mm तथा 265mm का है।

2.2 पथ के कि०मी० 3 में कराये गए BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.28% पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30% का है।

2.3 पथ के कि०मी० 3 में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त एग्रिगेट के FI +EI का औसत कुलमान 42.12% पाया गया है, जबकि प्रावधान अधिकतम 30% का है।

2.4 पथ के कि०मी० 24 में कराये गये WMM तथा GSB कार्य की औसत मोटाई क्रमशः 99mm तथा 214mm पायी गयी है जबकि प्रावधान क्रमशः 225mm तथा 265mm का है।

2.5 पथ के कि०मी० 24 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.45% पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5% का है।

2.6 पथ के कि०मी० 24 में कराये गये SDBC तथा BM कार्य का औसत FDD क्रमशः 1.86gm/cc तथा 2.04gm/cc पाया गया है, जबकि प्रावधान क्रमशः 2.30gm/cc तथा 2.20gm/cc का है।

2.7 पथ के कि०मी० 24 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.12% पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30% का है।

2.8 पथ के कि0मी० 24 में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त एग्रिगेट औसत 8.80% ओवर साईज पाया गया है।

उक्त आरोपों के आधार पर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 (ख) के आलोक में विभागीय पत्रांक–6887 (E) दिनांक–18.10.2016 द्वारा संवेदक मेसर्स मेसर्स शालीग्राम सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी परन्तु संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–7599 (E) दिनांक–22.11.2016 के द्वारा संवेदक को अन्तिम रूप से स्मारित किया गया एवं विहित समय में स्पष्टीकण उपलब्ध नहीं होने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

3. उक्त के आलोक में संवेदक मेसर्स शालीग्राम सिंह के पत्रांक–शून्य दिनांक–15.12.2016 के द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें त्रुटियों/अनियमितताओं हेतु कंडिकावार उत्तर समर्पित किया गया है, जो निम्नांकित है :–

3.1 त्रुटि/अनियमितता संख्या–(i) के संबंध में संवेदक का स्पष्टीकरण निम्नवत् है :–

आलोच्य पथ के कि०मी० 3 में WMM एवं GSB का प्रावधान मात्र दोनों तरफ 01–01 मी० चौड़ाई में था। चौड़ीकरण भाग में WMM एवं GSB परत का मद संपादित करने के बाद बीच के पुराने पथ परत के बराबर में आ जाता था, इसके बाद इसे ऊपर 50mm एवं 25mm SBD का प्रावधान था। प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–174, दिनांक 25.06.2010 के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि दोनों तरफ 01–01 मीटर की चौड़ाई में किये गये GSB एवं WMM परत की मोटाई मात्र 01–'01 बिन्दु पर मापी गई है जो तकनीकी परीक्षक कोषांग के ज्ञापांक–1389, दिनांक 16.09.84 के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, जिसमें बायें बीच एवं दायें बिन्दु पर मोटाई मापकर उस Cross Section की औसत मोटाई आकलन करने का प्रावधान है। इसी क्रम में निवेदन है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग के अनुरूप ही पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश–349, दिनांक 02.12.2010 ज्ञापांक–4949 (ई०) दिनांक 02.12.2010 में भी पुनः किया गया है।

इसके पूर्व भी पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2760, दिनांक 29.07.2009 में भी बायें मध्य एवं दायें तीन बिन्दुओं पर एक Cross Section पर मोटाई मापकर औसत मोटाई आकलन का प्रावधान है।

उपर्युक्त परिपत्रों के आलोक में उड़नदस्ता प्रमण्डल सं०–01 द्वारा प्रतिवेदित ओसत मोटाई भरोसेमंद विश्वसनीय एवं प्रावैधिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। इन प्रतिवेदित मोटाई के आधार पर किसी तरह की कार्रवाई हमारे विरूद्ध करना नियम सम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है।